राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

विज्ञापन संख्याः **एफ.2(1512)/डीओआईटी/संस्था./13/**I/6214/2013 दिनांक 25-04-2013

सूचना सहायक (Informatics Assistant) प्रतियोगी परीक्षा, 2013

1. राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा "**सूचना सहायक (Informatics Assistant)**" प्रतियोगी परीक्षा 2013 के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन – पत्र (**Online Application Form**) आमंत्रित किए जाते हैं।

2. **ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाः–** ऑनलाइन आवेदन ई–मित्र **(e-Mitra)** या **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से अथवा स्वयं के स्तर पर विभाग की वेबसाइट **www.doitc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

(क) ई–मित्र (e-Mitra) या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आवेदन – ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र **(e-Mitra)** या **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/– (रुपये 30/. आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र **(e-Mitra)** या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) कियोस्क पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर विभाग की वेबसाइट www.doitc.rajasthan.gov.in से स्वयं ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु कियोस्क सेवा प्रदाता को मात्र रुपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ख) अन्य स्थान से ऑनलाइन आवेदन – ऑनलाइन आवेदन पत्र आवदेक स्वयं अपने स्तर पर भी भर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी ई–मित्र **(e-Mitra)/ जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** कियोस्क पर या ई–मित्र **(e-Mitra)** पोर्टल पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से जमा कर वहां से प्राप्त टोकन नम्बर को विभाग के ऑनलाइन आवेदन फार्म में भरना होगा। अपने स्तर पर इस प्रकार आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आवेदक को आवेदन शुल्क के अलावा रुपये 10/– अतिरिक्त रूप से भुगतान करने होगें। अर्थात् यदि आवदेन शुल्क रुपये 500/– है तो कुल रुपये 510/– नेट बैंकिंग पर भुगतान करने होंगे।

(ग) अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र क्रमांक प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है।

(घ) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे।

नोटः–

(1) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से अपलोड करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई हैं। आवेदन पत्र में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें।

(3) अभ्यर्थी आवश्यक रूप से अपना आवेदन पत्र क्रमांक नोट कर ले ताकि आवदेन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

(4) आवेदक यह भी ध्यान रखे कि ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र **(C.S.C.)** पर फीस जमा कराने का टोकन नं. आवेदन पत्र क्रमांक नहीं है, अपितु आवेदन पत्र भरने के उपरान्त कंप्यूटर से जारी किया गया क्रमांक ही आवेदन पत्र क्रमांक है।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र क्रमांक भूल गया है तो वेबसाइट से अपना टोकन नं. तथा जन्म तिथि भर कर आवेदन क्रमांक की जानकारी कर सकता है।

(6) टंकित या हस्त–लिखित आवेदन–पत्र किसी भी रूप में विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. **प्रवेश–पत्र** –

परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र विभाग की वेब–साइट के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेगें। विभाग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश–पत्र अपलोड किए जाने की सूचना विभाग की वेबसाइट **www.doitc.rajasthan.gov.in** पर जारी की जायेगी। समाचार–पत्रों एवं वेब–साइट के माध्यम तथा यथा संभव अभ्यर्थी के **ई–मेल आई.डी.**(E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी प्रेषित करने का प्रयास किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेब–साइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन–पत्र क्रमांक** एवं फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान में रखें।

4. **परीक्षा शुल्क–**

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क बिन्दु संख्या 2 में अंकित प्रक्रिया के अनुसार **विभाग को जमा करवाएं :–**

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रूपये 500/–
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– रुपये 250/–
(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु– रुपये 150/–

नोट :–

(1) ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क बिन्दु संख्या 2 के अनुरूप अतिरिक्त रूप से सभी को देने होंगे।

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** की सूची वेबसाइट **www.emitra.gov.in** पर उपलब्ध है।

5. **रिक्त पदों की संख्याः– (क) राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (संशोधित नियम 2012) तथा समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत सूचना सहायक के रिक्त पद निम्नानुसार है :–**

Vacancy Statement

Post Name	Total Post	Open Category				SC				ST				OBC				SBC				SP	PH		
		Open	Female	Widow	Divorcee	Open	Female	Widow	Divorcee	Open	Female	Widow	Divorcee	Open	Female	Widow	Divorcee	Open	Female	Widow	Divorcee		LD	HI	VH
TSP	537	191	55	21	5	19	6	2	0	166	49	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahariya	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non TSP	5756	1994	549	249	61	686	201	83	21	366	106	46	12	897	276	114	28	47	14	5	1	0	0	0	0
Total	6300	2185	604	270	66	705	207	85	21	537	157	65	16	897	276	114	28	47	14	5	1	135	68	67	67

संक्षिप्ताक्षरः– SP- Sports Person, PH- Physically Handicaped, TSP- Tribal Sub Plan

(ख) विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो विभाग द्वारा इसी विज्ञप्ति के माध्यम से नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

6. **आरक्षण के प्रावधानः–**

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार अग्रणीत किया जायेगा।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों के पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी। परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

(ख) महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

(अ) स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ब) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं हेतु कुल पदो का प्रवर्गवार 10 प्रतिशत (8 प्रतिशत विधवा + 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला) आरक्षण होगा शेष 20 प्रतिशत पद सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार महिलाओं का आरक्षण कुल पदों का प्रवर्गवार 30 प्रतिशत होगा। किसी वर्ग (उपरोक्त सारणी में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार सामान्य वर्ग/आरक्षित वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

इस संबंध में माननीय न्यायालय /राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश प्रभावी रहेंगे।

(ग) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(घ) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए:–

(अ) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(ब) विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान विशेष योग्यजनों का नियोजन नियम, विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जाएगा । विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से, पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्तियों को नियमानुसार अग्रणीत किया जाएगा।

(स) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियो ं का (समान अवसर, अधिकारो ं का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण–पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियो ं हेतु आरक्षित पदो ं हेतु पात्र माना जाएगा।

(ड) राज्य सरकार के प्रचलित नियमानुसार राज्य के उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित हैं राज्य से ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

<u>नोट</u>:– राजस्थान राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, महिला अभ्यर्थियों इत्यादि को विभाग की भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण संबंधी आदेश लागू होंगे।

(च) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

विशेष नोटः–

(1) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन–क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।

(2) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

7. **विस्तृत आवेदन पत्र :–**

भाग प्रथम की ऑनलाईन परीक्षा एवं कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षण परीक्षा के उपरान्त सफल आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किए जाने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाएंगे।

8. **शैक्षणिक योग्यता:–**

<u>शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं एवं अनुभवः</u>– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत "सूचना सहायक" के पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास **देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान** के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

(i) Graduate or higher degree in Computer Science / Computer Engineering / Computer Applications / Computer Science & Engineering or Electronics or Electronics & Communication or Information Technology or equivalent of a University established by law in India.

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिक्स या इलेक्ट्रोनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य।

OR/या

Post Polytechnic Diploma in Computer Applications or 3 years Diploma in Computer Science & Engineering / Computer Applications / Information Technology or equivalent from a Polytechnic institution recognised by the Government.

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पॉलीटेक्नीक संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलीटेकनिक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

OR / या

Graduate of a University established by law in India with Diploma in Computer Science / Computer Applications / Information Technology or equivalent of a University established by law in India or of an Institution recognized by the Government.
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य।

OR / या

Graduate of a University established by law in India with "O" or Higher Level Certificate course conducted by National Institute of Electronics and Information Technology (NIEIT)/DOEACC under the control of Department of Electronics, Government of India.
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रानिक्स विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.) / डीओईएसीसी (डोएक) द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

OR / या

Graduate of a University established by law in India with Computer Operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate Organised under National / State Council of Vocational Training Scheme.
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय / राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) / डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र,

AND / और

(ii) Speed of 20 Words Per Minute typing in Hindi and English both.
हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकण की गति।

नोटः–

परन्तु ऐसे आवेदक जो नियमानुसार चाही गई शैक्षणिक अर्हता के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए है या सम्मिलित होने वाले हैं, इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगें किन्तु विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षण परीक्षा की अंतिम तिथि तक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण देना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परन्तुक का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है।

9. **<u>आयुः–</u>**

आवेदक **1 जनवरी, 2014** को **21** वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और **35** वर्ष से अधिक का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में –

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसारः– 'यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का / की नहीं हुआ / हुई है।"
स्पष्टीकरण :– सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए सूचना सहायक के पदों पर अन्तिम भर्ती वर्ष 2011 तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। अतः उन सभी अभ्यर्थीओं को जो की एक वर्ष पूर्व पूर्ण योग्यता रखते थे उन्हे आयु मे एक वर्ष की छूट दी जायेगी।
(2) राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
(3) सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
(4) राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में उन्हें 10 वर्ष की छूट देय होगी।
(4) उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका या और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
(5) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
(6) एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामलों में, उपर्युक्त अधिकतम आयु–सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु,

विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(7) राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जेण्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।

(8) विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः–

यह कि विधवा को अपने पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(9) रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(10) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(11) राजस्थान विशेष योग्यजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार विज्ञापित पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के विशेष योग्यजनों को पहले से ही सेवानियमों में विहित शिथिलिकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप से शिथिलिकृत किया जा सकेगा (नियम 39):–

(1) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष

(2) पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष

(3) अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष की छूट दी जावेगी।

<u>नोट</u> – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 2 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. **<u>वेतनमानः–</u>**

1. रनिंग पे बैंड–I (रूपये 5200–20200) ग्रेड पे–9 (रू. 2400/–)।
2. राज्य सरकार के प्रचलित नियमानुसार रूपये 7900/– नियत समेकित मासिक पारिश्रमिक परिवीक्षाधीन अवधि में देय होंगे।
3. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद के विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लेखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।
4. पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

11. **<u>पदस्थापनः–</u>**

नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को, मुख्यालय (कार्यालय शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान – 302005) अथवा राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन किसी भी कार्यालय/जिले/स्थान आदि में, पदस्थापित किया जा सकता है।

12. **<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथिः–</u> ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2013 से भरे जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं फीस जमा कराने की अन्तिम दिनांक 30.05.2013 को रात्रि 12:00 बजे तक** होगी। **इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।** आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

13. **<u>परीक्षा का माह एवं स्थानः–</u>**

भाग–I ऑनलाइन परीक्षाः–

(क) भाग–I की **ऑनलाइन परीक्षा रविवार दिनांक 16 जून, 2013** को राज्य के प्रमुख शहरों यथा अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा उदयपुर एवं समीपवर्ती राज्यों के प्रमुख शहरों में परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

(ख) परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना विभाग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। विभाग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन–पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों एवं राज्य के बाहर अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है।

भाग–II – अर्हता टंकण गति परीक्षणः–

विभाग द्वारा कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षण परीक्षा राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में आयोजित की जाएगी जिसकी तिथि वेबसाइट पर भाग–I की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरान्त उपलब्ध कराई जायेगी। अतः आवेदक समय–समय पर वेबसाइट देखते रहें। इसे नहीं देखने पर परीक्षा सम्बन्धी सूचना (गति परीक्षा की तिथि आदि) नहीं मिलने के लिए विभाग नहीं वरन् स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा

14. **परीक्षा की योजनाः–**

परीक्षा दो भागों में होगी। केवल वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित होते है परीक्षा के भाग–II में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के भाग–I के लिए अनुज्ञात अंक और समय तथा परीक्षा के भाग–II के लिए अनुज्ञात समय निम्नानुसार होगाः–

भाग–I – ऑनलाइन परीक्षा

	अधिकतम अंक	समय
योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त	100	3 घण्टे

भाग–II – अर्हता टंकण गति परीक्षणः

		समय
(क)	हिन्दी	15 मिनट
(ख)	अंग्रेजी	15 मिनट

टिप्पणीः–

अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे और योग्यता सूची परीक्षा के भाग–I में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी किन्तु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में सम्मिलित किये जाने के पात्र होंगे।

15. **आर्नलाइन परीक्षा का माध्यमः–**

भाग–I से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अर्थ में संशय होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मान्य होगा।

16. **पाठयक्रम विवरण**

Syllabus of Part-I - Written Examination

Aptitude Test, General Awareness in Information Technology and Fundamentals of Computer:

(a) Problem Solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning, Mental Ability and Analytical Reasoning. General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan, Major developments in the field of Information Technology.

(b) Overview of the Computer System including input-output devices, pointing devices, and scanner.

(c) Introduction to Operating System, Word Processing (MS-Word), Spread Sheet Software (MS-Excel), Presentation Software (MS Power Point), DBMS Software (MS-Access).

(d) Representation of Data (Digital versus Analog, Number System – Decimal, Binary & Hexadecimal), Introduction to Data Processing, Concepts of files and its types.

(e) Introduction of Internet Technology and Protocol, LAN, MAN, WAN, Search Services/Engines, Introduction to online & offline messaging, World Wide Web Browsers, Web publishing, Creation & maintenance of Websites, HTML Interactivity Tools, Multimedia and Graphics, Voice Mail and Video Conferencing, Introduction to e-Commerce.

(f) Security: Protecting Computer Systems from viruses & malicious attacks, Introduction to Firewalls and its utility, Backup & Restoring data.

(g) Algorithms for Problem Solving, Introduction to C Language, Principles and Programming Techniques, Introduction of Object Oriented Programming (OOPs) concepts, Introduction to "Integrated Development Environment" and its advantages.

Part–II - Typing Speed Test

Speed tests in Hindi and English languages on Computer Machine shall be taken of only those candidates who have qualified the Part-I of the examination. The number of candidates to be admitted to the Part-II of the examination (Qualifying Typing Speed Test) shall be about three times of the advertised vacancies (category wise).

Note for general Guidance

1. The standard of the paper will be that of a Degree Examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.
2. Questions of question paper of on-line examination may be of multiple choice type.

भाग–I –आनॅलाइन परीक्षा का पाठ्य विवरण

योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कम्प्यूटर के मूल सिद्धान्त

(क) प्रोब्लम सोल्विंग, डाटा इन्टरप्रिटेशन, डाटा सफीशियन्शी, लाजिकल रीजनिंग, मेन्टल एबिलिटी एण्ड एनालिटिकल रीजनिंग। भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास।

(ख) इनपुट–आउटपुट डिवाइसिस, पाएन्टिंग डिवाइसिस और स्केनर सहित ओवरव्यू ऑफ द कम्प्यूटर सिस्टम।

(ग) इन्ट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग (एमएस–वर्ड), स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर (एमएस–एक्सल), प्रजेन्टेशन साफ्टवेयर (एमएस–पावर पोइन्ट), डीबीएमएस साफ्टवेयर (एमएस–एक्सेस)।

(घ) रिप्रजेन्टेशन ऑफ डाटा (डिजिटल वर्सेज एनालॉग, नम्बर सिस्टम–डेसिमल, बाइनरी एण्ड हेक्साडेसिमल), इन्ट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कान्सेप्ट्स ऑफ फाईल्स एण्ड इट्स टाईप्स।

(ङ) इन्ट्रोडक्शन ऑफ इन्टरनेट टेक्नोलोजी एण्ड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, सर्च सर्विसिस/इन्जिंस, इन्ट्रोडक्शन टू ऑनलाईन एण्ड ऑफलाईन मेसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वैब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रियेशन एण्ड मेन्टेनन्स ऑफ वेबसाईट्स, एचटीएमएल इन्टरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एण्ड ग्राफिक्स, वॉईस मेल एण्ड विडियो कान्फ्रेन्सिंग, इन्ट्रोडक्शन टू ई–कॉमर्स।

(च) सिक्यूरिटी : प्रोटेक्टिंग कम्प्यूटर सिस्टम फ्रोम वाइरसैस एण्ड मॅलिशस अटैक्स, इन्ट्रोडक्शन टू फायरवाल्स एण्ड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एण्ड रिस्टोरिंग डाटा।

(छ) एलगोरिथम फॉर प्रोब्लम सोलविंग, इन्ट्रोडक्शन टू सी लेंगवेज, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स, इन्ट्रोडक्शन ऑफ आबजेक्ट आरिएन्टेड़ प्रोग्रामिंग (ऊप्स) कान्सेप्ट्स, इन्ट्रोडक्शन टू "इन्टिग्रेटिड डवलपमेंट इन्वायरमेंट" एण्ड इट्स एडवान्टेजिस।

भाग–II– टंकण गति परीक्षण

केवल उन अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर मशीन पर हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में गति परीक्षण लिया जायेगा जो परीक्षा के भाग–I में अर्हित हुए हैं। परीक्षा के भाग–II (अर्हता टंकण गति परीक्षण) में प्रविष्ट किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों (प्रवर्गवार) की लगभग तीन गुना होगी।

सामान्य मार्गदर्शन के लिए टिप्पण :

1. प्रश्नपत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूपरेखा अभ्यर्थियों के सामान्य मार्गदर्शन के लिए इस अनुसूची में बतायी गयी है किन्तु इसका सर्वतःपूर्ण होना आशयित नहीं है।
2. On Line परीक्षा के प्रश्न–पत्र के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

17. अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में:–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, आवेदन विभाग को सीधे ही ऑनलाईन भेजने चाहिए। विभाग द्वारा अंतिम दिनांक के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे, भले ही आवेदक द्वारा नियोक्ता को अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत कर दिया गया हो। जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा विभाग को आवेदक द्वारा सूचना/ अनुमति नहीं दिये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के संबंध में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से रद्द की जा सकती है।

18. नियुक्ति के लिये अयोग्यता:–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1–6–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तानें हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिये निर्रहित नहीं समझा जायेगा, जब तक उसकी सन्तानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तानें पैदा हो जाती हैं वहाँ सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा ।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी को स्वघोषणा पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

   स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है (सैन्ट्रल एक्ट 28 ऑफ 1961)

6. किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

19- <u>अनुचित साधनों की रोकथामः–</u>

ऐसा अभ्यर्थी जो आयोग/नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गडबड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो सही नही है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार मे नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियिमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसेः

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिये सरकार द्वारा, स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया जा सकेगा।

<u>**संयाचना**</u>– सीधी भर्ती के लिये नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिये निरर्हित कर सकेगा।

20. <u>कंप्यूटर मशीन पर उत्तर टंकित करने हेतु सहायक की सुविधाः–</u>

सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से कंप्यूटर मशीन पर टंकित करने होंगे, केवल राजस्थान विशेष योग्यजनों का नियोजन नियम में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर कंप्यूटर मशीन पर टंकित करने में असमर्थ है, उन्हें विभाग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा कंप्यूटर मशीन पर उत्तर टंकित करने हेतु सहायक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। सहायक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

21. <u>**प्रमाण–पत्रों का सत्यापन**</u> :–आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ विशेष योग्यजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ (जो कि परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) , प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :–

(अ) जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।

(ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई हैं ।

(स) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा ।

(द) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(य) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है ।

(र) विशेष योग्यजन का सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो ।

नोट :–

1. आवेदक जिनके आवेदन–पत्र अन्तिम दिनांक तक विभाग को ऑनलाईन पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को विभाग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि विभाग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टियॉ विभाग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। विभाग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य शर्ते आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

2. विज्ञापित पद से संबंधित सेवा नियम के अनुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

3. विभाग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाईड/गाईड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग की वैब–साइट www.doitc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

विशेष टिप्पणी :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न–पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंन्सिल, प्रवेश–पत्र या विभाग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व विभाग किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।

22. **विभाग की वेबसाइट** :– अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट **www.doitc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु विभाग के पते पर पत्र व्यवहार किया जा सकता है।

शासन सचिव एवं आयुक्त,
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
आई. टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर